संख्या-22/2016/746/सैंतीस-2-2016-1(36)/13टीसी

प्रेषक,

चन्द्र कान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-15 मार्च, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चकगंजरिया लखनऊ में उपलब्ध भवनों/सुविधाओं को रहमान खेड़ा, लखनऊ पर पुनर्स्थापित करने हेतु द्वितीय चरण के कार्यों की पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष निर्गत वित्तीय स्वीकृति में संशोधन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ के पत्र सं0-1149(5)/यूपीएलडीबी/ए.इ.एस./अ.हि.वी.उ.के.-र.खे./2015-16, दिनांक-15.03.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-102-पशु तथा भैंस विकास-05-चकगंजरिया फार्म की कतिपय इकाईयों की पुनर्स्थापना-0503-राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमान खेड़ा, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य में शासनादेश संख्या-13/2016/532/सैंतीस-2-2016-1(36)/13टीसी, दिनांक-02.03.2016 द्वारा रू0-176.42 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित कोषाधिकारी को पृष्ठांकित की गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक-02.03.2016 के पृष्ठांकन को संबंधित कोषाधिकारी के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ पढ़ा जाय।

2- शासनादेश दिनांक-02.03.2016 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(**चन्द्र कान्त पाण्डेय**)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-22/2016/746(1)/सैंतीस-2-2016- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3 ।
6. संबंधित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in